अनुसूची–१४ –फारम सं0 ५६२

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, १९४१ का नियम १२९)

न्यायालय जिला दण्डाधिकारी, सारण, छपरा।

आपूर्ति अपील सं0– 10 / 2013

राज किशोर राय

बनाम

सरकार (मार्फत अनु0 पदा, सदर, सारण।)

आदेश का क्रम–संख्या और तारीख।	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर।	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में पेशी, तारीख–सहित
07.01.2016	यह अपील वाद अनुमंडल पदाधिकारी, सदर, छपरा के ज्ञापांक 1438 दिनांक 31.10.2011 के विरूद्ध दाखिल है। उक्त वाद का संक्षिप्त इतिहास यह है कि अंचल पदाधिकारी–सह–प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, मकेर के पत्रांक 87 दिनांक 13.07.2011 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि राजकिशोर राय पे0 चन्द्रिका राय, पंयायत–बाधा कोल को किसी वांछित मामला में दिनांक 10.07.2011 को गिरफ्तार कर लिया गया। अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर–सह–अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा उक्त प्रतिवेदन के आलोंक में अपने ज्ञापांक 903 / आ0 दिनांक 19.07.2011 से उक्त विक्रेता की अनुज्ञप्ति को निलम्बित कर दी गई। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के अधिसूचना ज्ञापांक 5738 दिनांक 22.06.2011 जो 01.09.2011 को प्राप्त हुआ के आलोंक में विक्रेता की निलम्बित अनुज्ञप्ति को अपने ज्ञापांक 1438 / आ0 दिनांक 31.10.2011 के द्वारा रद्द कर दिया गया, जिसके विरूद्ध यह अपील वाद लाया गया है। अपीलार्थी अपने विज्ञ अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए। सुनवाई की गई। अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा बताया गया कि विक्रेता के द्वारा विभागीय दिशा निर्देश के आलोक में ससमय अनुदानित सामग्री का कूपन के आधार पर वितरण किया जाता है। विद्वान सत्र न्यायाधीश, सारण, छपरा के द्वारा विचारण वाद सं0–227 / 1993 में दिनांक 16.04.2012 के द्वारा पारित आदेश में विक्रेता को दोषमुक्त कर दिया गया है। अतः अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा अनुज्ञापन	

पदाधिकारी के प्रश्नगत आदेश को रद्द करते हुये अपीलार्थी के अपील आवेदन को स्वीकृत करने का अनुरोध किया गया।

विज्ञ सरकारी अधिवक्ता के द्वारा बताया गया कि चूकि विकृता से संबंधित विचारण वाद में माननीय न्यायालय के द्वारा उन्हें दोष मुक्त कर दिया गया है, इसलिए उनकी रद्द अनुज्ञप्ति को पुन–र्जीवित किया जाना विधिसम्मत होगा।

उभय पक्षों को सुनने एवं अभिलेख में रक्षित कागजातों के परिसीलन के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि अपीलार्थी से संबंधित विचारण वाद में अपीलार्थी को माननीय व्यवहार न्यायालय, छपरा के द्वारा दोष मुक्त कर दिया गया है, इसलिए अनुमंडल पदाधिकारी सदर–सह–अनुज्ञापन पदाधिकारी के प्रश्नगतआदेश (ज्ञापांक 1438 दिनांक 31.10.2011) का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। अतः अनुज्ञापन पदाधिकारी के प्रश्नगत आदेश को निरस्त करते हुए अपीलार्थी के अपील आवेदन दिनांक 19.02.2013 को स्वीकृत किया जाता है।

वाद निष्पादित।

लेखापित एवं सशोधित

15/1/16

जिला दण्डाधिकारी,
सारण, छपरा।

15/1/16

जिला दण्डाधिकारी,
सारण, छपरा।

ज्ञापांक 345 / दिनांक 15/1/16 /

प्रतिलिपिः– अनुमंडल पदाधिकारी,सदर,छपरा को अभिलेख मूल में संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, सारण छपरा को उक्त आदेश इस जिले के वेब साईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

15/1/16

वरीय उप समाहर्त्ता
जिल विधि शाखा
सारण, छपरा।

15/1/16